उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-9/2018/129/37-1-2018-2(14)/2017

लखनऊ: दिनॉक 19 जनवरी, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार निम्न अधिकारी को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के अधीन उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600/- स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	अधिकारी का नाम	ज्ये0 क्र0	विभाग नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए0सी0पी0 देयता की तिथि
1	2	3	4	5
1	डा0 रेवती प्रसाद	1501	22-02-2001	22-02-2011

2- कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या-9/2018/(1)/37-37-1-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिकारी को वित्तीय स्तरोन्नय का लाभ दिये जाने से पूर्व उनसे संबंधित सेवा अभिलेखों का सत्यापन अपने स्तर पर कर लेगें।
2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2 द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in